स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 47

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2007-2008			संशोधित, 2007-2008			बजट, 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		488.00	75.88	563.88	390.00	84.34	474.34	532.00	89.00	621.00
पूंजी		...	...	...	...	...	...	*2.00*	...	*2.00*
जोड़		**488.00**	**75.88**	**563.88**	**390.00**	**84.34**	**474.34**	**534.00**	**89.00**	**623.00**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	5.00	0.47	5.47	5.17	0.49	5.66	5.50	0.50	6.00
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य										
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी										
2. आयुर्वेद										
2.1 केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद	2210	20.00	31.65	51.65	23.99	33.20	57.19	27.00	35.37	62.37
2.2 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	2210	14.82	8.10	22.92	7.25	10.00	17.25	8.20	10.00	18.20
2.3 अखिल भारतीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली	2210	10.00	...	10.00	0.50	...	0.50	25.00	...	25.00
2.4 अन्य स्कीमें	2210	9.00	8.59	17.59	8.38	8.59	16.97	7.82	9.35	17.17
	जोड़	53.82	48.34	102.16	40.12	51.79	91.91	68.02	54.72	122.74
3. होम्योपैथी										
3.1 केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	2210	11.55	5.60	17.15	11.55	7.20	18.75	13.43	7.50	20.93
3.2 राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	2210	19.00	1.50	20.50	19.00	1.50	20.50	17.00	1.65	18.65
3.3 अन्य स्कीमें	2210	1.55	1.86	3.41	0.94	1.88	2.82	0.55	1.78	2.33
	जोड़	32.10	8.96	41.06	31.49	10.58	42.07	30.98	10.93	41.91
4. यूनानी										
4.1 केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद	2210	16.70	13.00	29.70	18.72	16.00	34.72	18.00	17.10	35.10
4.2 राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान	2210	10.00	...	10.00	6.73	...	6.73	8.00	...	8.00
	जोड़	26.70	13.00	39.70	25.45	16.00	41.45	26.00	17.10	43.10
5. योग और प्राकृतिक चिकित्सा										
5.1 मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान	2210	3.12	2.05	5.17	3.12	2.30	5.42	3.43	2.30	5.73
5.2 केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद	2210	4.00	0.96	4.96	4.22	0.86	5.08	5.00	0.98	5.98
5.3 अन्य स्कीमें	2210	4.08	...	4.08	3.48	...	3.48	4.25	...	4.25
	जोड़	11.20	3.01	14.21	10.82	3.16	13.98	12.68	3.28	15.96
6. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	2210	65.20	...	65.20	39.18	...	39.18	37.70	...	37.70
7. आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास	2210	27.00	...	27.00	9.00	...	9.00	22.00	...	22.00
8. आयुष की अन्य स्कीमें										
8.1 सूचना, शिक्षा और संचार	2210	7.00	...	7.00	6.25	...	6.25	5.00	...	5.00
8.2 अतिरिक्त 'मुराल' अनुसंधान परियोजनाएं	2210	8.00	...	8.00	7.25	...	7.25	7.00	...	7.00
8.3 आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/देशी औषधियों आदि में संलग्न गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र में उत्कृष्ट/प्रत्यायित आयुष केंद्रों को सहायता	2210	7.00	...	7.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2007-2008			संशोधित, 2007-2008			बजट, 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
8.4 विशिष्ट नैदानिक केंद्रों/ आईपीडी की स्थापना के लिए सरकारी-निजी भागीदारी	2210	5.00	...	5.00	0.10	...	0.10	5.00	...	5.00
8.5 राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान	2210	8.00	...	8.00	4.00	...	4.00	7.50	...	7.50
8.6 अन्य विविध स्कीमें	2210	25.18	2.10	27.28	18.27	2.32	20.59	33.13	2.47	35.60
	4210	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	जोड़	60.18	2.10	62.28	38.87	2.32	41.19	63.63	2.47	66.10
9. आयुष संस्थाओं का विकास	2210	42.00	...	42.00	42.00	...	42.00	58.50	...	58.50
	जोड़	*42.00*	...	*42.00*	*42.00*	...	*42.00*	*58.50*	...	*58.50*
10. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)										
10.01 अस्पताल और औषधालय	2210	108.00	...	108.00	95.90	...	95.90	107.00	...	107.00
जोड़-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	**जोड़**	**108.00**	**...**	**108.00**	**95.90**	**...**	**95.90**	**107.00**	**...**	**107.00**
11. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपेथी औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण	2210	8.00	...	8.00	13.00	...	13.00	26.00	...	26.00
12. औषधीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन सहित औषधीय पादप प्रसंस्करण अंचलों की स्थापना	2210	...	...	...	...	...	...	22.59	...	22.59
जोड़-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य		**434.20**	**75.41**	**509.61**	**345.83**	**83.85**	**429.68**	**475.10**	**88.50**	**563.60**
13. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए प्रावधान										
13.01 राष्ट्रीय चिकित्सकीय पादप बोर्ड	2552	14.80	...	14.80	11.00	...	11.00	5.30	...	5.30
13.02 उत्तर-पूर्वी आयुष/देशी औषधि संस्थान	2552	15.00	...	15.00	9.00	...	9.00	17.19	...	17.19
13.03 आयुष संस्थाओं का विकास	2552	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	6.50	...	6.50
13.04 औषध गुणवत्ता नियंत्रण	2552	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00
13.05 एनआरएचएम के अन्तर्गत स्कीमें										
13.05.01 अस्पताल एवं औषधालय	2552	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	13.00	...	13.00
13.06 औषधि पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन सहित औषधीय पादप प्रसंस्करण अंचलों की स्थापना	2552	...	...	...	...	...	...	7.41	...	7.41
	जोड़	*48.80*	...	*48.80*	*39.00*	...	*39.00*	*53.40*	...	*53.40*
14. सरकारी उद्यमों आईएमपीसी लि. में निवेश	4210	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***488.00***	***75.88***	***563.88***	***390.00***	***84.34***	***474.34***	***534.00***	***89.00***	***623.00***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. इंडियन मेडीसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन	22210	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ग. आयोजना परिव्यय										
1. चिकित्सा ओर लोक स्वास्थ्य	22210	439.20	...	439.20	351.00	...	351.00	480.60	...	480.60
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	48.80	...	48.80	39.00	...	39.00	53.40	...	53.40
जोड़		**488.00**	**...**	**488.00**	**390.00**	**...**	**390.00**	**534.00**	**...**	**534.00**

1. सचिवालय-सामाजिक-सेवाएं: आयुष विभाग के लिए सचिवालय सेवा उपलब्ध कराती है।

2. आयुर्वेद: इसमें (i) आयुर्वेद में विकास व् अनुसंधान हेतु केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद (ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जो अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा रोगी परिचर्चा के लिए आदर्श संस्थान के रुप में सेवा देता है (iii) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली। अन्य स्कीमों में निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया गया है (iv) गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के घटक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर को अनुदान सहायता (v) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली और (vi) आयुर्वेद हॉस्पीटल, लोदी रोड, नई दिल्ली, और (vii) राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ, नई दिल्ली हेतु प्रावधान शामिल है।

3. होम्योपैथी: इसमें (i) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् के लिए अनुदान (ii) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता, जो स्वायत्त संगठन है के लिए अनुदान और होम्योपैथिक स्नातकोत्तर कॉलेजों के उन्नयनार्थ अनुदान शामिल हैं। अन्य स्कीमों के अंतर्गत निम्नलिखित हेतु प्रावधान है (iii) होम्योपैथिक फार्माकोपियल लेबोरेटरी, गाजियाबाद, विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है। (iv) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, एक सांविधिक निकाय और होमियोपैथिक फार्माकोपियल समिति है के लिए भी प्रावधान है।

4. यूनानी: इसमें (i) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ii) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर (अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा जन स्वास्थ्य परिचर्या का एक आदर्श संस्थान) जो सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है, के लिए प्रावधान शामिल है।

5. योग और प्राकृतिक चिकित्सा: इसमें (i) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली (ii) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, तथा अन्य स्कीम के अंतर्गत (iii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।

6. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड: राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण हेतु सुनिश्चित गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्रियां उपलब्ध करने हेतु औषधीय पादपों के स्वःस्थाने संरक्षण और बाह्यःस्थाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संवर्धनात्मक और संविदात्मक कृषि स्कीम प्रारंभ की है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर उच्च प्राथमिकता वाले औषधीय पादपों की कृषि को गति प्रदान करने के लिए 27 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक 32 राज्य औषधीय बोर्डो का गठन किया गया है।

7. आयुष उद्योग समूहार्थ साझा सुविधाओं का विकास: यह योजना आयुष उद्योगों की सामूहिक अवस्थिति पर कच्ची सामग्रियों के मानकीकरण और तैयार माल के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सुविधाओं के सृजन के लिए है।

8.6 आयुष की 'अन्य स्कीमें' : इसमें (i) अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम, (ii) टी.के.डी.एल. और सांविधिक संस्थानों नामतः (iii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.), (iv) आयुष की केन्द्रीय फार्मेसी परिषद। इसके अलावा, इसमें (v) पी.एल.आई.एम. गाजियाबाद, जो इस विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है (vi) आयुष प्रणाली के उपयोग एवं स्वीकार्यता पर सर्वेक्षण (vii) आयुष के बाजार विकास/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/ प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/मार्ग प्रदर्शों आदि सहित आयुष के संवर्धन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलापों के लिए सहायता (viii) आयुष कार्मिकों पुनरविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी)/सीएमई (ix) स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/प्रसूति विद्या संबंधी रीतियों हड्डी सेर्प्स/पशुचिकित्सा परिचर्या आदि सुदृढ़ करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का निधियन (x) आयुष और जन स्वास्थ्य (xi) अधिग्रहण, सूचीकरण, अंकीकरण, और हस्तलिखित प्रतियों के प्रकाशन की स्कीम के लिए प्रावधान है।

9. आयुष संस्थानों का विकास: इसके अंतर्गत आयुष के स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कॉलेजों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सीसीआईएम)/ केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त करने और उनकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

10. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम): अस्पताल और औषधालय की केन्द्र प्रायोजित योजना को इस अम्ब्रेला परियोजना के तहत शामिल किया गया है। एनआरएचएम के अंतर्गत अस्पताल और औषधालय योजना पीएचसी/सीएचसी/जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं का सर्जन करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या नेटवर्क में आयुष के समेकनार्थ राज्यों को सहायता देती रहेगी। इसमें आयुष अस्पताल और आयुष औषधालय नामक दो घटक हैं।

11. आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी व होम्योपैथिक औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण: इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को उनकी राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं/राज्य फार्मेसियों के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी विनिर्माण एकांशों को अच्छी विनिर्माण पद्धति का अनुपालन करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

12. **औषधीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विषणन के साथ-साथ औषधीय पादप प्रसंस्करण क्षेत्रों का गठन करना** : केंद्र प्रवर्तित स्कीम में वित्तीय विद्यतन के लिए; 75000 हेक्टेयर पर चिकित्सीय पौधों की जातियों की खेती के लिए प्राथमिकता; 50 लाख बीजांकुरों तैयार करना, औषधीय पौधों की जातियों को प्राथमिकता देने के लिए खेती की सामग्रियों की कृषि हेतु नर्सरी और विकेंद्रीकृत बीज केंद्र का गठन करने के लिए केंद्र प्रवर्तित स्कीम के उप घटक होगें, देश के छह एग्रो-क्लोमेटिक दोनों में औषथीय पौध जोनों की स्थापना करना; और पौध निर्माण और बाजार सहायता के लिए बाजार विकास सहायता निधि।

13. 53.40 करोड़ रुपए का प्रावधान केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं नामतः (i) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (ii) पूर्वोत्तर आयुष संस्थान/लोक प्रचलित चिकित्सा (iii) आयुष संस्थाओं का विकास (iv) औषध गुणवत्ता नियंत्रण (v) अस्पताल तथा औषधालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र की हित योजनाएं लागू कर रहे हैं (vi) औषधीय खेती, औषधीय पौधों का प्रसंस्करण और विषणन के साथ-साथ औषधीय पौधों के प्रसंस्करण जोनों की स्थापना करने के लिए किया गया है।

15. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश: इंडियन मेडिसिंस फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत कुमाऊं मंडल विकास निगम (उत्तरांचल सरकार उपक्रम) का संयुक्त उद्यम है जो आयुष संस्थाओं आदि में आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाओं की सप्लाई करता है।